न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2018

1. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. आत्माराम पुत्र राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. शम्मी बेवा ख्यालीराम
2. तिलोका पुत्र ख्यालीराम
3. पूर्ण पुत्र ख्यालीराम
4. शंकरलाल पुत्र ख्यालीराम
5. कलावती पुत्री ख्यालीराम

जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. भानीराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. गोविन्दराम पुत्र मनफुल जाति निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. कृष्णलाल
9. अमरचन्द
10. लालचंद
11. हंसराज
12. चन्दो देवी

पिसरान मनफुल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13. ताराचन्द पुत्र राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. किशनलाल पुत्र राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

14/5/18

15. चावली पुत्री राजाराम पत्नी रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चक 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

16. हीरालाल पुत्र राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

17. दाखी देवी पुत्री राजाराम पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

18. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 19.02.2018

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 4

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 5 वाई के मु.नं. 48 के कि.नं. 13 से 25 के सम्बन्ध में पानी की पर्ची व मौके की यथास्थिति कायम करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 6 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.02.2018 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

14/5/18

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हर प्रकार से मामला अपीलांट के पक्ष में साबित था, फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं मानते हुए प्रा.पत्र खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.02.2018 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा.पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया गया है जबकि विवादित आराजी मु.नं. 48 व 51 की कुल 50 बीघा में से 12–1/2 बीघा भूमि पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार 18.08.1979 से अपीलांट व अपीलांट के पूर्वज के कब्जे में चली आ रही है। अतः अपीलांट इस भूमि के खातेदार हो चुके हैं। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय का अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधी. न्यायालय के निर्णय का क्रियात्मक अंश है कि न्यायालय के आदेशों की पालना में चक 5 वाई के खाता संख्या 74/69 मुरब्बा नम्बर 48 एवं 51 के कुल 50 बीघा कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 371 दिनांक 14 मार्च, 2015 द्वारा ख्यालीराम आत्मज श्री भूराराम कुम्हार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई है। आवंटी श्री ख्यालीराम की मृत्योपरांत प्रश्नगत कृषि भूमि मृतक स्व. श्री ख्यालीराम के वारिसान क्रमशः श्री

14/5/18

त्रिलोकाराम, पूर्णराम एवं श्री शंकरलाल के नाम पर दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से आवेदकगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार यह निर्विवाद है कि न्यायालय के निर्णय से विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज होने के आदेश होकर विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा है। यह तथ्य दौराने बहस रेस्पों. अभिभाषक द्वारा confess भी किया है जिसकी ताइद पटवारी हल्का 3 वाई एवं भू.अ.निरीक्षक कालिया की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2014 से होता है जिसका सन्दर्भ अंश है कि मुताबिक जमाबन्दी 2069–72 चक 5 वाई के खाता सं. 74 में ख्यालीराम जाति कुम्हार सा0 देह गैर खातेदार के नाम 5 वाई के मु.नं. 48 में 1 ता 25 6.009, मु.नं. 51 में 1 ता 25 में 6.200है0 नहरी, मु.नं. 65/2 में 0.253है0 खाला, मु.नं. 65/3 में 0.126 कुल 12.588 है0 नहरी मय खाला दर्ज है मूल आवंटी ख्यालीराम पुत्र भुराराम ही है। ख्यालीराम की मृत्यु हो चुकी है। ख्यालीराम के वारीसान द्वारा शम्मी पत्नी ख्यालीराम बगैरह जाति कुम्हार के पास मु.नं. 48 के कि.नं. 1, 2, 3, 4, 6 से 13 की 3.011 है0 नहरी , मु.नं. 51 के कि.नं. 1 से 13 की 3.089 है0 नहरी , मु.नं. 65/2 में 0.177 है0 खाला , मु.नं. 65/3 में 0.126 है0 खाला कुल 6.403है0 मय खाला कब्जा काश्त में है। घरेलू बंटवारा अनसुार ख्यालीराम के भतीजे ताराचन्द , हिरालाल पि0 राजाराम जाति कुम्हार सा0 5वाई मु.नं. 48 के कि.नं. 13 से 25 की कुल 2.998 है0 नहरी, मु.नं. 65/2 में 0.076है0 खाला कुल 3.074है0 नहरी मय खाला कब्जा काश्त में है व ख्यालीराम के भतीजे अमरचन्द पुत्र मनफुल कुम्हार सा0 5 वाई मु.नं. 51 के कि. 13 से 25 की कुल 3.111है0 नहरी रकबा कब्जा काश्त में है। विवाद का सार बिन्दु यह है कि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि की खातेदारी का निर्णय तो दावे में होगा परन्तु अपीलांट से कब्जा प्राप्त करने के लिए राज.काश्त. अधि. 1955 की धारा 183 के प्रावधान विद्यमान हे जिसकी Bare reading है कि 183. Ejectment of certain trespassers—(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provisions contained in sub-section (2), [on the suit of the person or persons entitled to eject him]'-and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural

14/5/18

year, during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956). अगर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को deny किया जाता है तो रेस्पों. अपने स्तर से विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, जिसका विरोध स्वाभाविक रूप से अपीलांट द्वारा किया जाएगा जो कानून व्यवस्था बिगडने की नौबत पैदा कर सकते हैं तथा दौराने बहस रेस्पों. अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि उनके द्वारा विवादित आराजी का कब्जा प्राप्त करने हेतु राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 183 के तहत दावा पेश किया जाएगा। अतः यह उचित होगा कि अपीलांट के कब्जे की 12–1/2 बीघा भूमि से बेदखली की कार्यवाही सन्दर्भ विधि धारा 183 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रकिया अनुसार ही हो, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा सुपुर्दगी कोई विधिक आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के साथ अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर